प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 640 / 2022

अनवान : –

1. सुरेश पुत्र ओमप्रकाश जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. रमेश पुत्र ओमप्रकाश जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. कैलाश पुत्र ओमप्रकाश जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. तारावती पत्नी सुभाष जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. कलावती पुत्री ओमप्रकाश जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. पूनम रानी पुत्री इन्द्रा पुत्री ओमप्रकाश जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. पूजा पुत्री इन्द्रा पुत्री ओमप्रकाश जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. सन्तोष पुत्री ओमप्रकाश जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. सोनू पुत्री सुभाष जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री रामकुमार बैनीवाल **वादी**
2. श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः 6/5/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 76 / 75 की कुल 6. 8310 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि एवं खाता स0 54 / 50 की कुल 5.0600 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि वादी के पिता ओमप्रकाश के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादीगण की बहिन इन्द्रा का देहान्त हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी स0 2 व 3 है तथा वादीगण के भाई सुभाष का देहानत हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी स0 4 पत्नी तथा प्रतिवादी स0 5 व 6 है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ओमप्रकाश के नाम दर्ज है जो वादी का पिता है। ओमप्रकाश का देहान्त हो चुका है। ओमप्रकाश के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 ता 5 है जो ओमप्रकाश के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:12:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण 2 ता 4 एवं वादीगण की बहिन जो की वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण के पक्ष में त्याग कर चुकी है एवं प्रतिवादीया स0 5 व 6 जो की वादीगण की भान्जीया है ने अपना हक हिस्सा वादी स0 4

यानि अपनी माता के पक्ष में त्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वादभूमि में मृतक ओमप्रकाश का नाम राजस्व रिकार्ड में से कलमजन कर वादीगण 1 ता 4 का 6/7 हिस्सा एवं प्रतिवादीया स0 1 का 1/7 हिस्सा है। वादीगण इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने कानूनी अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 2 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा मय इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी स0 1 को जरिये सम्मन तलब किया प्रतिवादी स0 1 के उपस्थित नही आने के कारण प्रतिवादी स0 1 का हिस्सा सुरक्षित रखते हुए एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 7 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 14 बारानी सम्वत 2070–2073 ,खाता स0 54/50, 76/75, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बहक ओमप्रकाश, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बहक सुभाषचन्द्र, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बहक इन्द्रबाला, चित्रप्रति सदस्य प्रमाण पत्र ओमप्रकाश आदि पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाब दावा मय इकबाल दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जो की वादीगण के पिता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादीगण के पिता का देहान्त हो चुका है पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अनुसार जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 है। प्रतिवादीगण स0 2 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादीगण अपने मृतक पिता ओमप्रकाश का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवाकर वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। । वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण स0 2 ता 6 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है तथा प्रतिवादीया स0 1 का हक हिस्सा सुरक्षित रखा गया है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 76/75 की कुल 6.8310 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व खाता स0 54/50 की कुल 5.0600 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के पिता ओमप्रकाश के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक ओमप्रकाश के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:12:29 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 2 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 76/75 की कुल 6.8310 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि ओमप्रकाश के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में मृतक ओमप्रकाश का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण स0 1 ता 4 को 6/21 हिस्सा बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीया स0 1 को 1/21 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खाता स0 54/50 की कुल 5.0600 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के पिता ओमप्रकाश के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक ओमप्रकाश का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण स0 1 ता 4 को 6/14 हिस्सा बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं प्रतिवादीया स0 1 को 1/14 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 6/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–22 एनटीआर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:12:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 640/2022
अनवान : –

1. सुरेश पुत्र ओमप्रकाश जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. रमेश पुत्र ओमप्रकाश जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. कैलाश पुत्र ओमप्रकाश जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. तारावती पत्नी सुभाष जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. कलावती पुत्री ओमप्रकाश जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. पूनम रानी पुत्री इन्द्रा पुत्री ओमप्रकाश जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. पूजा पुत्री इन्द्रा पुत्री ओमप्रकाश जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. सन्तोष पुत्री ओमप्रकाश जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. सोनू पुत्री सुभाष जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 640 सन 2022

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है है कि कि रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 76/75 की कुल 6.8310 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि ओमप्रकाश के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में मृतक ओमप्रकाश का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण स0 1 ता 4 को 6/21 हिस्सा बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीया स0 1 को 1/21 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खाता स0 54/50 की कुल 5.0600 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के पिता ओमप्रकाश के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक ओमप्रकाश का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण स0 1 ता 4 को 6/14 हिस्सा बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं प्रतिवादीया स0 1 को 1/14 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 6/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–22 एनटीआर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:12:29 IST
Reason: SelfAttested